न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री संजीव खेदर आर ए एस
प्रार्थना पत्र संख्या :— 56 / 2025

उनवान

1. छीतर मल जाट पुत्र ओमकार मल जाट जाति जाट निवासी खोरालाडखानी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

प्रार्थी

बनाम

1 बदी प्रसाद पुत्र सुन्दर
2 रामेश्वर उर्फ रामू पुत्र सुन्दर
3 जगदीश पुत्र सुन्दर
4 ओमकार पुत्र भागीरथ
5 सुरेश उर्फ सुरेन्द्र पुत्र हनुमान
6 धर्मपनाल पुत्र हनुमार
7 हनुमान पुत्र भूरा
8 छीतर पुत्र भुरा
9 वन्दना पत्नि सुरेन्द्र उर्फ सुरेश
10 बबीता पत्नि धर्मपाल
11 महेश पुत्र छीतरमल
समस्त जाति जाट निवासी खोरालाडखानी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी * शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान *

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट

उपस्थित 1 श्री रणवीर कपूरिया अधिवक्ता प्रार्थी
2 श्री मदनलाल जाट अधिवक्ता अप्रार्थी

आदेश दिनांक 30/4/25

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है प्रार्थी ने अप्रार्थीगण विरूद्व यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्व एक वादपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थी को सफलतार मिलने की पूरी पूरी सम्भावना है। प्रार्थी की हाल आराजी खसरा नम्बर 1434, 1435, 1445, 1452, 1471 व 1473 कुल किता 6 रकबा 0.35 हैक्टर वाकै ग्राम खोरालाडखानी , तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है, जो प्रार्थी की पैतृक भूमि रही है तथा प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी उक्त आराजी पर अपने बुजुर्गो के समय से ही काबिज रहकर काश्त करता हुआ चला आ रहा है। अप्रार्थीगण बहुसंख्यक ताकतवर व राजनैतिक पहुँच वाले व्यक्ति होने से प्रार्थी की आराजी को जबरन हडप करने के आशय से अप्रार्थीगण नाजायज संगठन बना रख है। दिनांक 23.4.2022 को अप्रार्थीगण व इनके परिवारगण प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 1473 में अनाधिकृत रूपव से जबरन घुसकर खेत से जेसीबी मशीन व टेक्ट्रर से मिट्टी का खनन कर उठाई गई है। जिसके सम्बन्ध में पुलिस थाना मनोहरपुर में एफआईआर नं0 96 / 2022 दर्ज करवाई गई है जो जैर अनुसंधान है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के आवंले व नींबू के पेडो को जबरन काट कर नष्ट करने पर आमादा रहते हैं, ओर प्रार्थी की कब्जे काश्त व स्वामित्व की आराजी पर जबरन कब्जा कर प्रार्थी को जबरन लठ के जोर पर बैदखल करने पर आमादा रहते है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थना में प्रश्नागत आराजी की जमाबन्दी , सीमाज्ञान प्रार्थना पत्र दिनांक 6.10.21,फर्द मौका सीमाज्ञान 10.11.2021, पत्थरगढी निर्णय दिनांक 14.7.22 व पत्थरगढी

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

दिनांक 29.5.24 आदि पेश किये जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद पाबन्द फरमाया जावे ...वेदन किया कि प्रार्थी के कब्जे काश्त व उपयोग व उपभोग में कोई बाधा कारित नहीं करे । प्रकरण पेश होने पर रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थीगण सं0 5 से 11 की ओर से श्री मदनलाल जाट ने मूल वादपत्र में वकालतनामा पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया ।

वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में जाहिर किया कि आराजी खसरा नम्बर 1473 रकबा 0.06 है0 पर अप्रार्थीगण सं0 5 से 11 का बुजुर्ग भूरा पुत्र हनुता साबिक सेटलमेन्ट के पूर्व से ही तथा बरोज लागू होने राज0काश्तकारी अधिनियम 1956 दिनांक 15.10.1955 को बहैसियत काश्तकार काबिज रहकर काश्त करता रहा है और लगान जमा करवाता आ रहा है। साबिक सेटलमेन्ट से पूर्व से ही चार आम के फलदार पेड लगा रखे थे और उक्त आम के पेडो से उपज कैरी व आम प्राप्त करते रहे है तथा काश्त भी करते आ रहे है। खसरा नम्बर 1473 व उसके किसी भाग से प्रार्थी व उसके बुजुर्ग ओमकार कास कोई हक अधिकार नहीं रहा है। प्रार्थी के बुजुर्ग ओमकार ने सेटलमेन्ट कार्मिको से साजकर अप्रार्थीगण की भूमि को गलत रूप से अपने नाम कर लिया जो काबिले दुरूस्त है।अप्रार्थीगण ने अपने रिहायशी व कृषि उपज आदि के लिये बनाये गये पुख्ता मकान में भरत करने के लिए कुछ मिट्टी उठाई थी । अन्त में वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि भूमि की कीमत बढ जाने से प्रार्थी उक्त आराजी खसरा नम्बर 743 को अप्रार्थी सं0 7 व 8 के नाम कराने में टालमटोल कर रहे है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे ।

प्रकरण बहस हेतु नीयत किया जाकर वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई । वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद तक पाबन्द फरमाये जाने हेतु निवेदन किया । वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थन पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मय हर्जा खर्चा प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया । वकील अप्रार्थी ने आरजेबी 2015 पेज नं0 545 की नजीर पेश की ।

हमने वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि मुख्य रूप से प्रार्थी व अप्रार्थीगण में खसरा नम्बर 1473 के सम्बन्ध में विवाद है। राजस्व रिकार्ड का अवलोकन पर आराजी खसरा नम्बर 1473 प्रार्थी के नाम दर्ज रही है। प्रार्थी ने अपनी भूमि की सीमाज्ञान तथा पत्थरगढी भी करवा कर काबिज काश्त होना साबित होता है। प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस पूर्ण रूप से चस्पा होने से प्रश्नागत आराजी से अप्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध नहीं होने से प्रथम दृष्टाया में मामला प्रार्थी के पक्ष में होने ओर सुविधा का सन्तुलन व अकथनीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में होने से अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से मूल वाद के ताफैसला पाबन्द किया जाता है कि आराजी खसरा नं0—1434, 1435, 1445, 1452, 1471 व 1473 कुल किता 6 रकबा 0.35 हैक्टर वाकै ग्राम खोरालाडखानी , तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर में प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत दखलन्दाजी पैदा नहीं करे, तथा मिट्टी नहीं उठाएं, कोई पेड नहीं काटे, मौके व राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखें ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक .30.4.2025 को सरै इजलास सुनाया गया।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा

(संजीव कुमार खेदड़)
उप खण्ड अधिकारी, शाहपुरा
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)
जिला जयपुर